



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

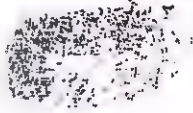
A 81491

ओ३मु, विनिमय-पत्र (तबादलानामा)

स्टाम्प शुल्क मय आवास शुल्क अंकन 1,24,000/- रुपये ।

हम कि अशोक व मनोज पुत्रगण स्व० श्री नरेश व श्रीमती उषा
देवी धर्मपत्नी स्व० श्री नरेश व दिनेश व राजबीर व गोविन्द
पुत्रगण श्री किरेंद्र सिंह निवासीगण ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर
परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ -----प्रथमपक्ष ।।

एवम

<u>अशोक</u> 	<u>मनोज</u> 	<u>अशुषा</u> 	<u>दिनेश</u> 
<u>राजबीर सिंह</u> 	<u>गोविन्द</u> 	<u></u> 	



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

793413

:: 2 ::

मैसर्स सृष्टि प्रमोटर्स प्रा० लि० (ए कम्पनी) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री
वी० आर० मिश्रा पुत्र स्व० श्री जी० पी० मिश्रा निवासी 159/10
शास्त्रीनगर, मेरठ शहर जिन्हें कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की
मिटिंग दिनांक 30-10-2013 ई० द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया
है---द्वितीयपक्ष।।

अशोक

अनिल

अ-कृष्ण

अनेश

राजबीर सिंह

गोविन्द

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601391

:: 3 ::

जो कि प्रथमपक्ष इस विलेख के अन्त में अनुसूचि अ में वर्णित कृषि भूमि भूमिधरी के संक्रमणीय भूमिधर, मालिक काबिज स्वामी हैं व अनुसूचि ब में वर्णित कृषि भूमि भूमिधरी द्वितीयपक्ष के स्वामित्व व काशत की है तथा दोनों पक्षों का नाम राजस्व अभिलेखों फर्द खसरा खतौनी में वजरिये वो-जोत संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज स्वामी दर्ज है और अनुसूचि अ तथा ब में वर्णित भूमि दोनों पक्षों की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है और प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को अपनी अपनी उक्त भूमि

मिश्र

मनोज

अ-रु-रुका

अ-रु-रुका

राजनीर सिंह

गोविन्द



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601392



:: 4 ::

में प्रत्येक प्रकार का अधिकार प्राप्त है दोनों पक्ष एक दूसरे से लाभ व कृषि हेतु उक्त भूमि के विनिमय के लिए उद्यत है तथा कोई वैधानिक दोष विनिमय में हम दोनों पक्षों के अधिकारों में बाधक नहीं है, तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष निम्न वर्णित भूमि विनिमय द्वारा ट्रांसफर करने को तत्पर व तैयार है। अतः दोनों पक्ष स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व

राजेश

मनोज

स.र.श

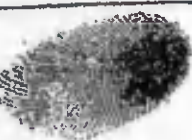
अ.व.श



राजेश सिंह

गोविन्द

अ.व.श





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601393

:: 5 ::

स्वस्थ इन्द्रियो की अवस्था में बिना किसी दबाव व बहकाव के यह विनिमय पत्र लिखकर रजिस्ट्री करा रहे है, जिसके हम दोनो पक्ष और हमारे उत्तराधिकारीगण व स्थानापन्न निम्न लिखित प्रतिबन्धो से आबद्ध होते है:-

देशाम

मनेज

के.ए.कुल

एस.एस.

राजवीर सिंह

गोबिन्द

पुष्प

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601244

2 DEC 2013

:: 6 ::

1- यह कि प्रथमपक्ष ने अपनी कृषि भूमि भूमिधरी जो अनुसूची 'अ' में वर्णित है को द्वितीयपक्ष को कृषि भूमि भूमिधरी सूची 'ब' के बदले में हस्तान्तरित कर दी और द्वितीयपक्ष उसका आज की तिथि से स्वामी हो गया है तथा द्वितीयपक्ष ने मौके पर अपना कब्जा कर लिया है। तथा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को विनिमय द्वारा अन्तरित भूमि का व्यक्तिगत स्वामी व पूर्णतः अधिकारी तथा अपनी ही भांति मालिक

रमेश

मनोज

सिद्धेश्वर

दिनेश

राजबीर सिंह

गोबिन्द



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601245

:: 7 ::

काविज स्वामी तथा दाखिल खारिज करा लेने का अधिकारी बना दिया
तथा दाखिल खारिज में यदि प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों की या शपथपत्र देने
की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष अपने हस्ताक्षर करने व शपथपत्र
देने के पावन्द व जिम्मेदार रहेगे। अब द्वितीयपक्ष को उक्त भूमि सूची
'अ' के सम्बन्ध में सर्वाधिकार प्राप्त रहेगे द्वितीयपक्ष उक्त भूमि को

महोदय

मनोज

मि. अ. उ. दा

मनेश

राजेश्वर सिंह

जीविका



उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

AM 601246

::8::

अपने प्रयोग मे लाये, विक्रय करे, खेती करे,जिस प्रकार चाहे उपयोग करे, तथा ऋण आदि लेने व बन्धक करने व विक्रय पत्र/उपहारपत्र आदि विलेख द्वारा अन्तरित करने के समस्त अधिकार प्रथमपक्ष के समान द्वितीयपक्ष को प्राप्त रहेंगे अर्थात आज से उक्त भूमि में जो अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वह समस्त अधिकार काश्तकार भूमिधरी सक्रमणीय भूमिधरी मालिकान आदि के द्वितीयपक्ष को प्राप्त

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

राजबीर सिंह

जीविन्द

हस्ताक्षर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601394

:: 9 ::

हो गये हैं तथा विनिमय द्वारा प्राप्त भूमि में द्वितीयपक्ष सह खातेदार है।

2- यह कि द्वितीयपक्ष ने अपनी कृषि भूमि भूमिधरी जो अनुसूची 'ब' में वर्णित है को प्रथमपक्ष को कृषि भूमि भूमिधरी सूची 'अ' के वदले में हस्तान्तरित कर दी और दे दी, जिसके अब प्रथमपक्ष आज

श्री...

मन्...

...

...

श्री...

...

...



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 DEC 2013

AM 601395

:: 10 ::

की तिथि से स्वामी हो गये हैं तथा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को व्यक्तिगत स्वामी व पूर्णतः अधिकारी तथा अपनी ही भांति मालिक काबिज स्वामी तथा दाखिल खारिज करा लेने का अधिकारी बना दिया तथा दाखिल खारिज में यदि द्वितीयपक्ष के हस्ताक्षरों की या शपथपत्र देने की आवश्यकता होगी तो द्वितीयपक्ष अपने हस्ताक्षर करने व शपथपत्र देने के पावन्द व जिम्मेदार रहेंगे तथा प्रथमपक्ष ने मौके पर अपना कब्जा

अक्षय

प्रतीक

48-864

हने 21

राजेश्वर सिंह

जीवन



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

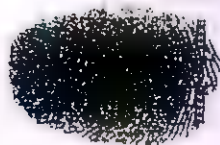
- 2 DEC 2013.

AM 601396

:: 11 ::

कर लिया है अब प्रथमपक्ष को उक्त भूमि सूची 'ब' के सम्बन्ध में सर्वाधिकार प्राप्त रहेगे प्रथमपक्ष उक्त भूमि को अपने प्रयोग में लाये, खेती करें तथा ऋण आदि लेने व बन्धक करने व विक्रय पत्र/उपहारपत्र आदि विलेख द्वारा अन्तरित करने के समस्त अधिकार द्वितीयपक्ष के समान प्रथमपक्ष को प्राप्त रहेगे अर्थात् आज से उक्त भूमि में जो

अशोक



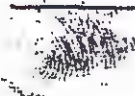
अनीज



हिरेश



हिरेश



राजवीर सिंह



जीबन्त



जीबन्त





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601397

:: 12 ::

अधिकार द्वितीयपक्ष को प्राप्त थे वह समस्त अधिकार काश्तकार भूमिधरी सक्रमणीय भूमिधरी मालिकान आदि के प्रथमपक्ष को प्राप्त हो गये है तथा विनिमय द्वारा प्राप्त भूमि में प्रथमपक्ष सह खातेदार है।

3- यहकि प्रत्येक पक्ष विनिमय की हुई भूमि पर बिना किसी खकावट

महाराज

मनोजि

अ. प्र. उदा

दिनेश

राजवीर सिंह

गोबिन्द

अ. प्र. उदा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601398

- 2 DEC 2013

:: 13 ::

के कब्जा करके शान्ति पूर्वक भोग करने के अधिकारी होंगे तथा एक दूसरे पक्ष को आपस में एक दूसरे के अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न होगा व किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

अशोक

मनोज

दी-अ-अ-अ

दिने 21

राजवीर सिंह

गोविन्द

कैर



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601241

- 2 DEC 2013

:: 14 ::

अतः यह विनिमय पत्र दोनों पक्षों की सहमति से लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति॥

विवरण सम्पत्ति सूची नम्बर 'अ' जो प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को सूची भूमि 'ब' के बदले में दी है।

अशोक

अनिल

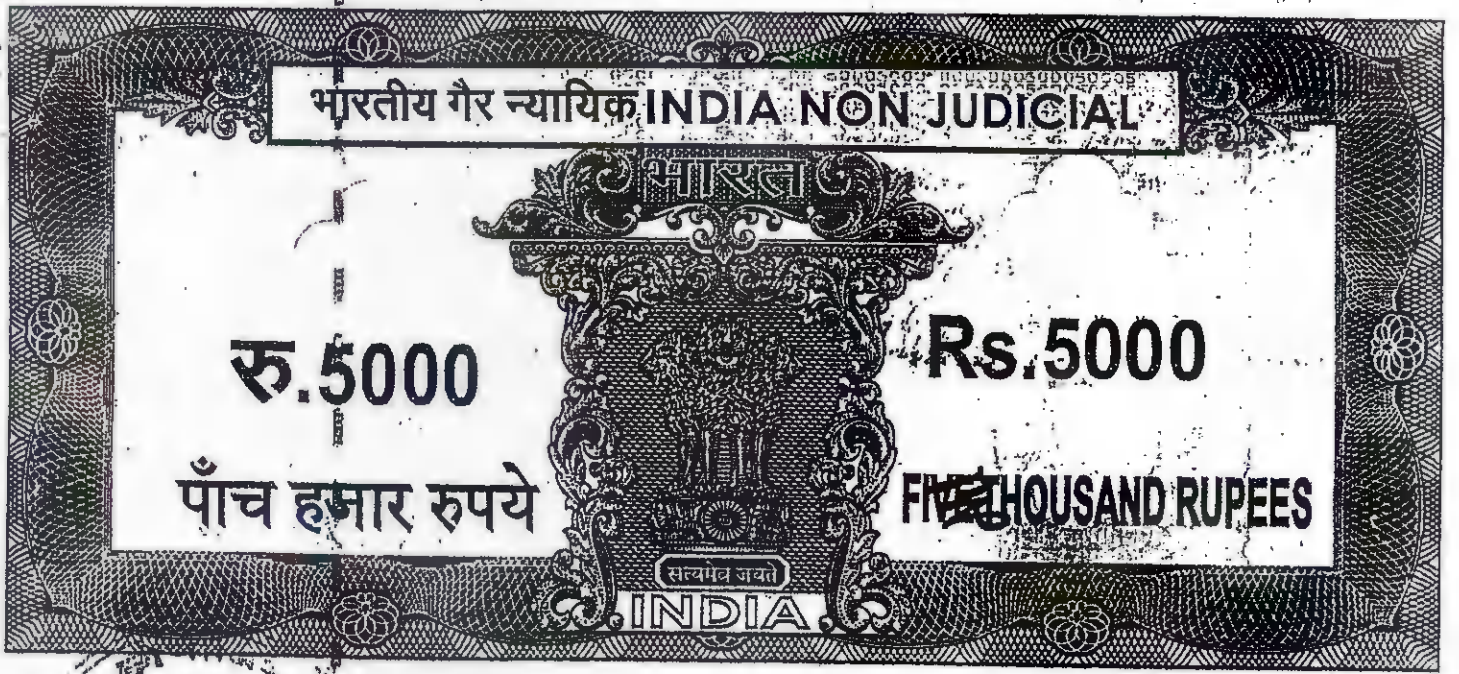
अ. शर्मा

अ. शर्मा

राजवीर सिंह

गोविन्द

अ. शर्मा



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601242

:: 15 ::

जो कि भूमि खसरा नम्बर 732 रकबई 0.0250 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 733 रकबई 0.0250 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 734 रकबई 0.2280 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 735 रकबई 0.1640 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 736 रकबई 0.1900 हैक्टेयर कुल नम्बरान पांच कुल रकबई 0.6320 हैक्टेयर पुख्ता

अशोक

मनोज

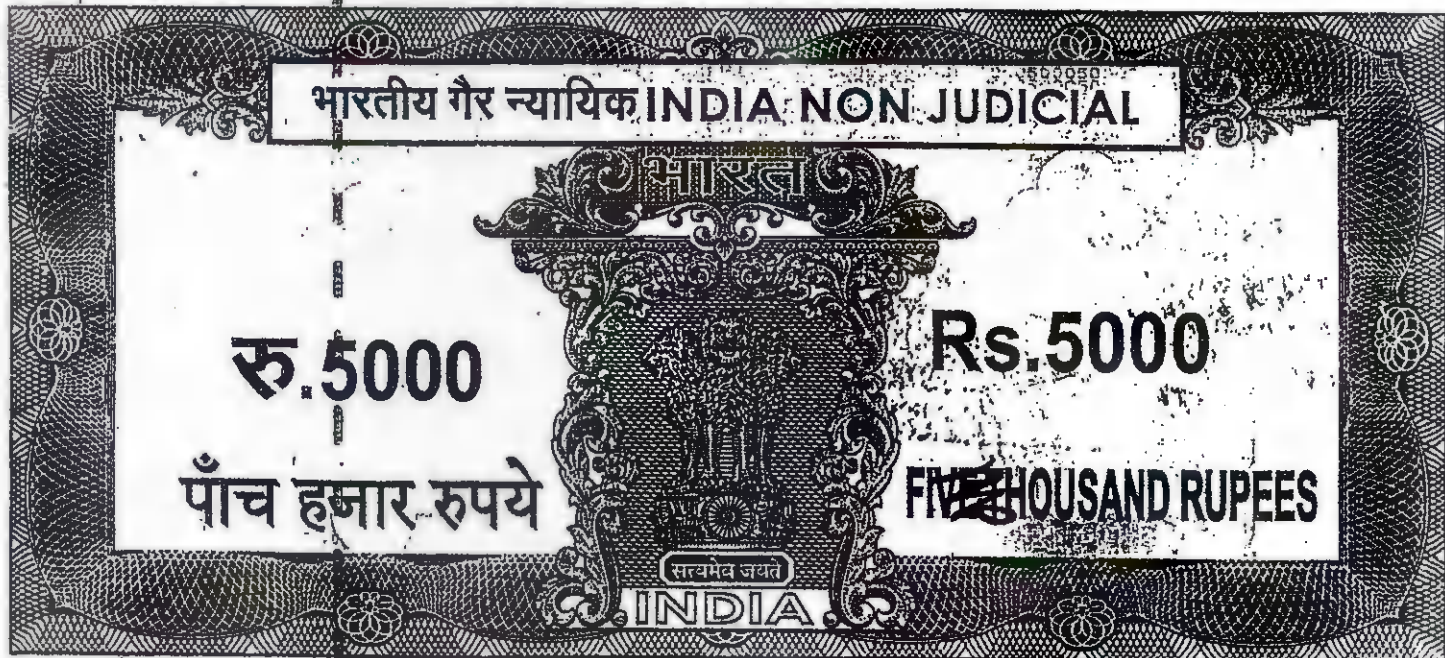
अशोक

अशोक

राजबीर सिंह

जीविन्द

अशोक



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 601243

:: 16 ::

भूमि का एक बटा पांच भाग जो उक्त खसरा नम्बरान मे प्रथमपक्ष का अपना कुल हक व हिस्सा है यानि अन्तरित भाग केवल 0.1264 हेक्टेयर पुख्ता भूमि लगानी परता खाता स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ

महेश

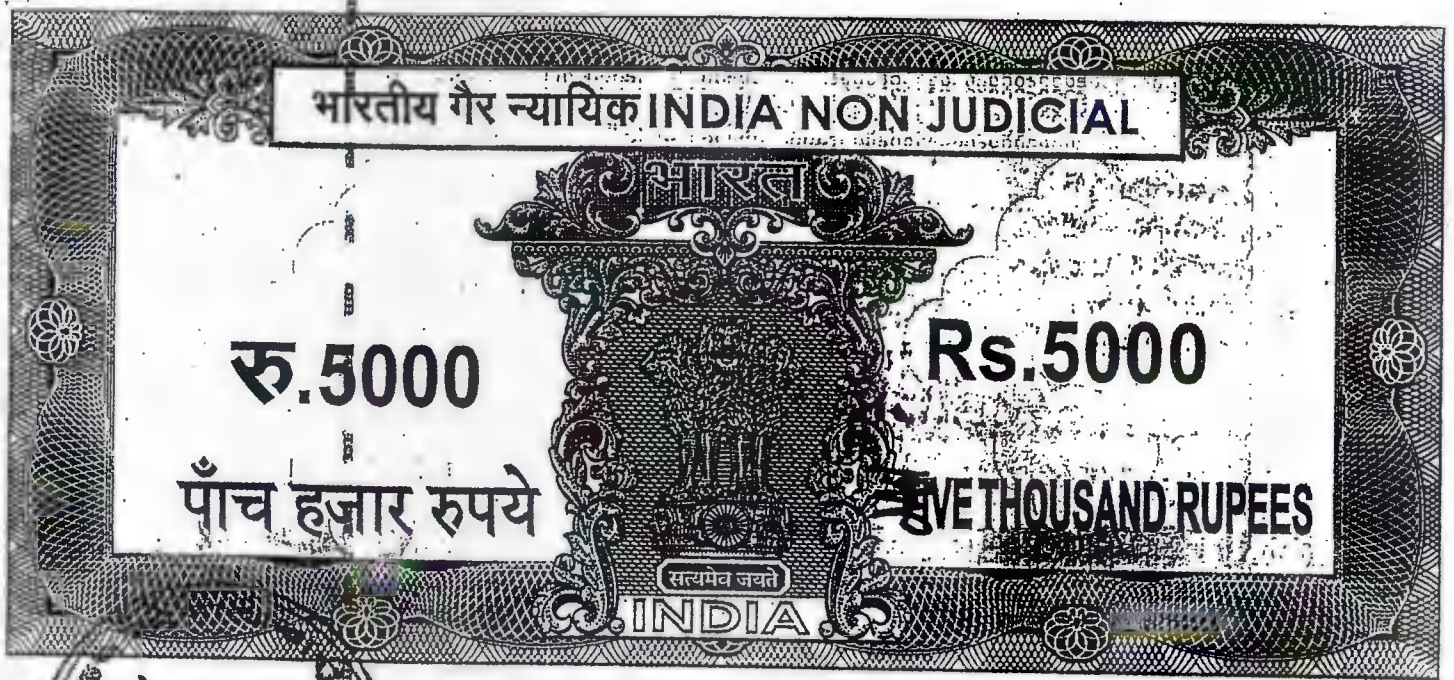
मनोज

संजय कुमार

रितेश

राजवीर सिंह

जीबिन्द



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 DEC 2013

AM 601399

:: 17 ::

विवरण सम्पत्ति सूची नम्बर 'ब' जो द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को सूची 'अ' के बदले में दी है।

जो कि भूमि खसरा नम्बर 669 रकबई 0.0130 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 670 रकबई 0.0690 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 671 रकबई 0.0690 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 672 रकबई 0.5690 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 673 रकबई

अक्षय

मनोज

अक्षय-34

अक्षय-21



राजवीर सिंह

गोविन्द

अक्षय



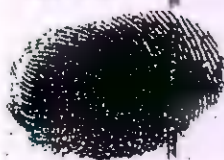


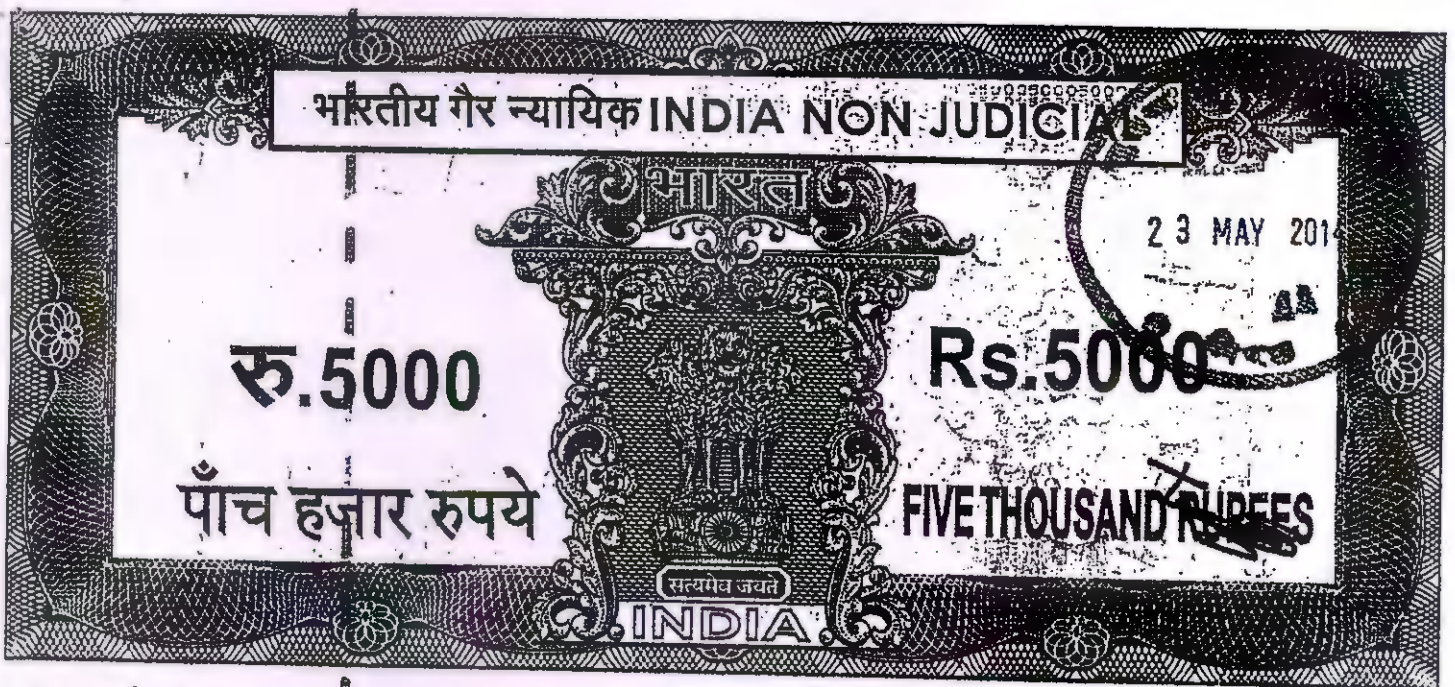
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 638024

:: 18 ::

0.5500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 675 रकबई 0.0690 हैक्टेयर कुल नम्बरान छः कुल रकबई 1.3390 हैक्टेयर पुख्ता भूमि का एक बटा पांच भाग जो उक्त खसरा नम्बरान मे द्वितीयपक्ष का अपना कुल हक व हिस्सा है यानि द्वितीयपक्ष का भाग केवल 0.2678 हैक्टेयर पुख्ता भूमि मे से अन्तरित भाग केवल 0.1264 हैक्टेयर पुख्ता भूमि लगानी परता खाता

<u>अशोक</u>	<u>मनोज</u>	<u>के.ए. उषा</u>	<u>दिनेश</u>
			
<u>राजबीर सिंह</u>	<u>जीविन्द</u>	<u>कमल</u>	
			



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 638025

:: 19 ::

स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना
जिला मेरठ जो द्वितीयपक्ष के अपने कुल हक व हिस्से मे से है

अन्य विवरण

- 1- यहकि विनियम की गई कृषि भूमि भूमिधरी अर्द्ध नगरीय क्षेत्र
मे स्थित है।
- 2- विनियम पत्र पर स्टाम्प मालियत अंकन 17,70,000/- रुपये पर
नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

अशोक

मनोज

स.क.367

दिनेश

राजबीर सिंह

गोविन्द



AE 644934

::20::

3- यहकि विनिमय की गई कृषि भूमि भूमिधारी कृषि भूमि है, तथा संलग्न राजस्व रिकार्ड में कृषि ही दर्ज है तथा उक्त भूमि के दो सौ मीटर की त्रिज्या में खेती/अकृषक गतिविधियां हैं तथा उक्त भूमि दो फसली है, तथा सिंचाई का साधन प्राइवेट पडौसी का नलकूप है, तथा उक्त भूमि की किस्म जमीन सेवटा है, व उक्त भूमि किसी भी राष्ट्रीय राज्य मार्ग, जनपदीय मार्ग या लिंक

हस्ताक्षर

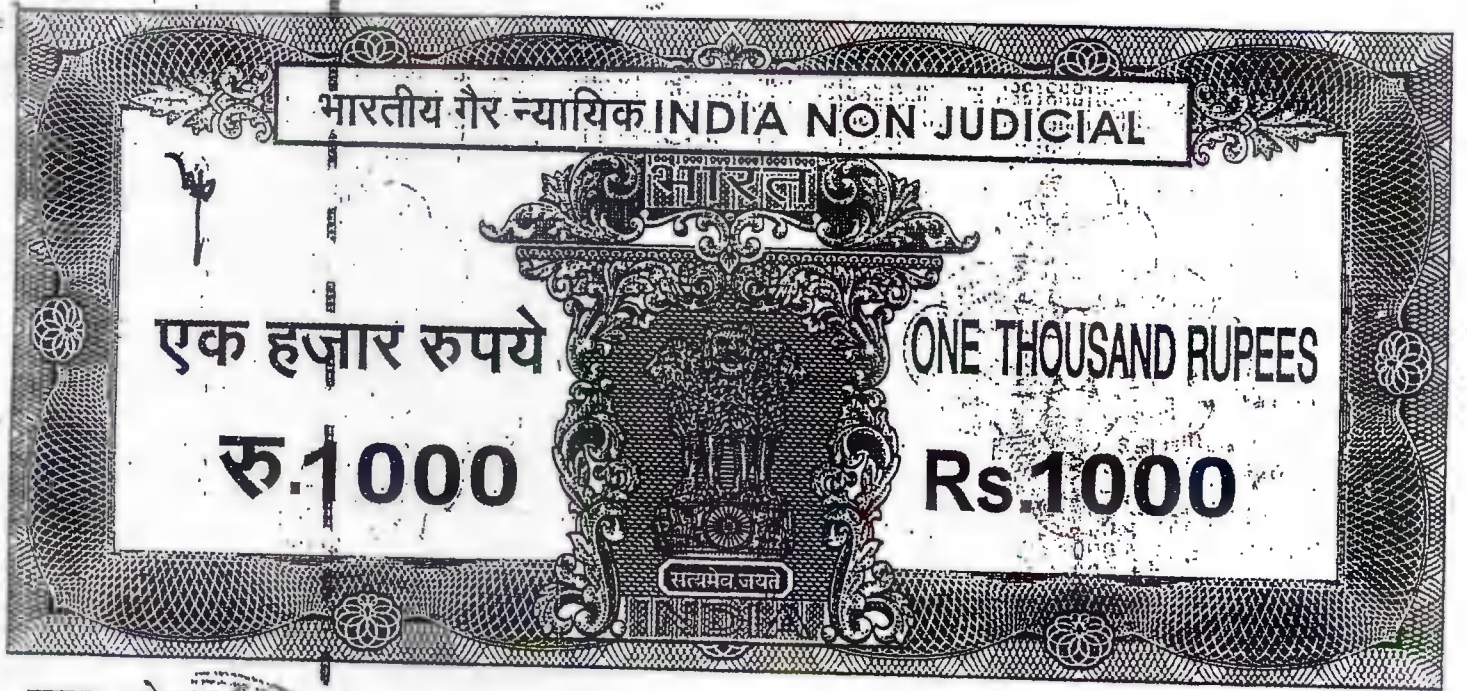
मनीष

स.प्र.पु.का

दिनांक 21

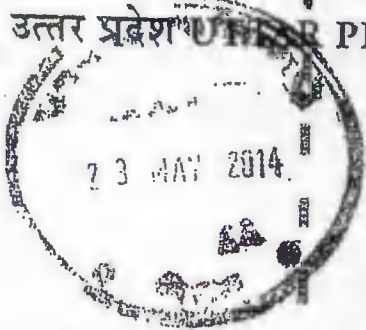
राजवैर सिंह

गोविंद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 644935

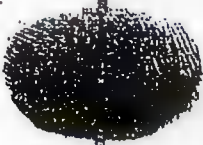


:: 2 ::

मार्ग पर स्थित नहीं है बल्कि कृषि भूमि के बीच स्थित है, तथा विलेख में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुपालन सत्यता पूर्वक किया जा रहा है, तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष भारत के मूल नागरिक हैं।

4. यहकि विनिमय किए गये दोनों भूमि का सर्किल रेट एक ही है तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अन्तरित की गई / आपस में विनिमय द्वारा प्राप्त की गई भूमियों में सहखातेदार है।

अशोक



मनोम



अ.क. उषा



हनेश



राजनीश

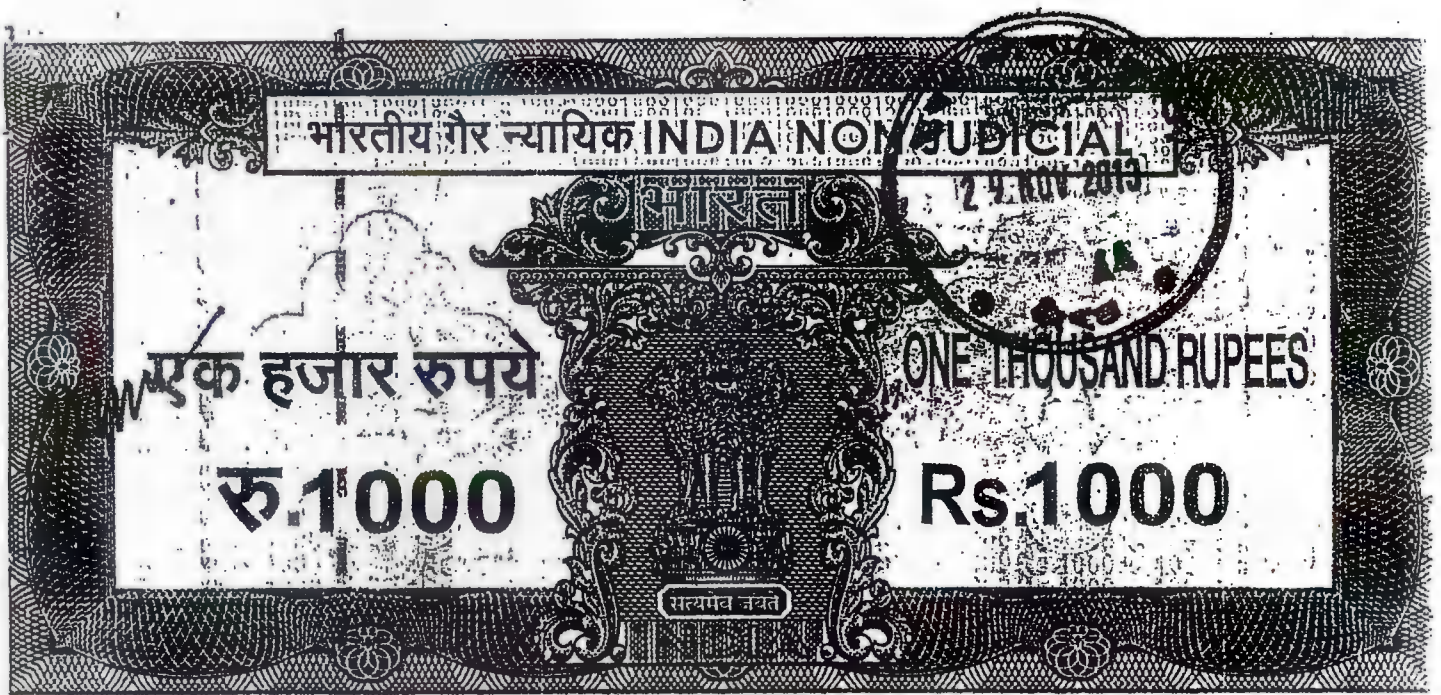


गोबिन्द



अ.क. उषा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 616017

:: 22 ::

5- मूल्यांकन की गणना के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी दर सूची के अनुसार कृषि हेतु भूमि का सर्किल रेट 1,00,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है किन्तु अन्तरित भूमि के दो सौ मीटर की त्रिज्या में अकृषिक गतिविधियां विद्यमान होने के कारण सर्किल रेट अंकन 1,20,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार मूल्यांकन करके स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

शशो

मनोज

अ-अ. 341

अ-अ. 21

राजवीर सिंह

शोबिन्द



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 616018

:: 23 ::

6. अन्तरण भूमि के प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आदिवासी आदि से सम्बन्धित नहीं है।

अरुण शर्मा
अनौज
अ.अ.उका
दिनेश
राजवीर सिंह
जोगिन्दर
माह
पुष्पा

लिखित दिनांक 26-05-2014 ई. मसविदा एवं फोटो सत्यापन अरुण शर्मा एडवोकेट, मेरठ।।

Arun Sharma
M.Com, LL.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.)

